(72)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल,मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक /2018 निगरानी / जिला विदिशा

श्री ...... द्वारा आज दि. 12.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/01211

जयराम पुत्र श्री मुंशीलाल जाति मैना आयु–53 वर्ष निवासी– ग्राम बौरिया तहसील व जिला विदिशा म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

कमल किशोर पुत्र श्री गजराजसिंह बघेल आयु 48 वर्ष निवासी– ग्राम करैया हाट तहसील व जिला विदिशा म0प्र0 ....प्रत्यार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2018 जोकि अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग जिला भोपाल म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 656/ अपील/09–10 वउनवान जयराम बनाम कमलकिशोर मे पारित किया गया, जिसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विदिशा म.प्र. के प्र.क. 80/अपील/09–10 वउनमान कमल किशोर बनाम जयराम मे पारित आदेश दिनांक 21.06.2010 को यथावत रखा गया है जिसके द्वारा निगरानीकर्ता के नामांतरण को निरस्त करने का आदेश दिया गया है।

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1211 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र झा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुबंध पत्र के आधार पर नामांतरण की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होने से नामांतरण निरस्त करने का आदेश पारित किया। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की गई है जो उचित एवं न्यायिक है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	